[2023]5 ए. सी. आर. 87

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 2023 का 2883-2885

सुनील एवं अन्य ...अपीलकर्ता
बनाम
दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य...प्रतिवादी
28 अप्रैल, 2023

[एम. आर. शाह और संजय करोल, न्यायमूर्तिगण।]

सेवा कानून-अंतर वरिष्ठ-दिल्ली उच्च न्यायालय में निजी सचिवों के रिक्त पदों को भरना-लिखित परीक्षा आयोजित किया गया- परिणाम घोषित किए गए-पुनर्मूल्यांकन की मांग करने वाले कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर लिखित याचिकाएं-उच्च न्यायालय ने एक विशेष समिति का गठन किया, जिसने 13 उम्मीदवारों के पुनर्मूल्यांकन की सिफारिश की- जिसके परिणामस्वरूप सभी के लिए अंक बढ़े-संशोधित सूची तैयार की गई- अंतर-से-वरिष्ठता का मुद्दा उठा-विशेष समिति ने अपने दिनांक 01.10.2018 के निर्णय द्वारा काल्पनिक वरिष्ठता को संशोधित अंकों/योग्यता के सूची के अनुसार मान्यता दी-अभिनिर्धारण: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 13 उम्मीदवारों के पुनर्मूल्यांकन के पहले के निर्णय को अंतिम रूप दिया गया था और उसके बाद 13 उम्मीदवारों के अंक बढ़ाए गए थे, विशेष समिति ने दिनांक 01.10.2018 के अपने निर्णय में संशोधित अंक/योग्यता सूची के अनुसार काल्पनिक वरिष्ठता को मान्यता देने के लिए पूरी तरह से उचित माना-एक बार पुनर्मूल्यांकन के बाद, संबंधित उम्मीदवारों के अंक बढ़ाए जाते हैं, जिनके अंक बढ़ाए जाते हैं, उन्हें योग्यता सूची में उचित स्थान पर रखना होगा-संशोधित अंकों के आधार पर वरिष्ठता का अनुदान न देने से पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया अनावश्यक/उद्देश्यहीन हो जाएगी।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 13 उम्मीदवारों के पुनर्मूल्यांकन के पहले के निर्णय को अंतिम रूप दिया गया और उसके बाद 13 उम्मीदवारों के अंकों में वृद्धि हुई, विशेष समिति ने अपने निर्णय दिनांकित 01.10.2018 के संशोधित अंकों/योग्यता सूची के अनुसार काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान करना को पूरी तरह से उचित माना। प्रासंगिक समय पर, चयनित उम्मीदवारों में से किसी ने भी (22 उम्मीदवार-यहाँ उत्तरदाता) पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं किया और विशेष समिति के निर्णय, कि केवल 13 उम्मीदवारों के अंकों का पुनर्मूल्यांकन करें, को भी चुनौती नहीं दी। केवल 13 उम्मीदवार के पुनर्मूल्यांकन के पहले के निर्णय को चुनौती देने में विफल रहने के कारण जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन प्रासंगिक समय पर नहीं किया है, हालांकि उसके बाद पुनर्मूल्यांकन की कवायद चल रही थी, लेकिन उत्तरदाताओं के लिए बाद में यह शिकायत करने की गुंजाइश नहीं थी कि अंकों का पुनर्मूल्यांकन 13 उम्मीदवार अपने नुकसान के साथ नहीं हो सकते हैं। एक बार पुनर्मूल्यांकन के बाद, संबंधित उम्मीदवारों के अंक बढ़ाए जाते हैं जिनके अंक बढ़ाए जाते हैं, उन्हें योग्यता सूची मे उचित स्थान पर रखना होगा। संशोधित अंकों के आधार पर वरिष्ठता का अनुदान न देने से पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया अनावश्यक/उद्देश्यहीन हो जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के अंक बढ़े हुए हैं उन्हें दिनांक 30.01.2017 की चयन सूची में उनके स्थान से वंचित नहीं किया जा सकता तथा त्रुटि सुधार पर उन्हें मेरिट के आधार पर काल्पनिक वरिष्ठता अर्थात परस्पर वरिष्ठता का लाभ दिया जाना अपेक्षित था। अपीलकर्ताओं की ओर से कोई गलती नहीं थी। प्रासंगिक समय पर गलत अंकन के कारण वे नियुक्तियों से वंचित रह गए और उन्हें मेरिट सूची में नहीं रखा गया और इस तरह पुनर्मूल्यांकन पर अंकों के संशोधन पर सुधार करना आवश्यक था। इसलिए, विशेष समिति द्वारा दिनांक 01.10.2018 को उम्मीदवारों को संशोधित अंकों के अनुसार काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान करने का निर्णय लेना बिल्कुल उचित था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विशेष समिति द्वारा काल्पनिक वरिष्ठता को मान्यता देने के लिए, लिए गए सचेत निर्णय को रद्द करने में मूलभूत गलती की है।

के. मेघचंद्र सिंह और अन्य बनाम वी. निंगम सिरो और अन्य,
(2020)5 एससीसी 689: [2019] 16 एस. सी. आर. 651;
जनहित याचिका केंद्र बनाम दिल्ली के महानिबंधक
उच्च न्यायालय डब्ल्यू. पी. (सी) 712/2015; नानी शाह और
अन्य बनाम वी. अरुणाचल प्रदेश राज्य और अन्य, (2007)15

एससीसी406:[2007]6एस.सी.आर.1027;उत्तर प्रदेश राज्य
और अन्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव (2014) 14 एससीसी
720: [2013]11 एस. सी. आर. 846-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 16 एससीआर 651 संदर्भित पैरा 3,14

[2007] 6 एससीआर 1027 संदर्भित पैरा 5.6

[2013] 11 एससीआर 846 संदर्भित पैरा 5.6

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 2023 का 2883-2885
डब्ल्यू. पी. (सी) न. 949 एवम 7893/2019 और 10668/2022 मे दिनांक 28.09.2022 के दिल्ली उच्च न्यायालया, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश से उत्पन्।

साथ

सिविल अपील सं. 2023 का 2886

चंदेर उदय सिंह, मनिन्दर सिंह, (वरिष्ठ अधिवक्ता), श्रीमती भावना दुहन, अंसुल सेयल, अमजीत मकबूल, अंकुर छिब्बर, एच. एस. तिवारी, अंशुमन मेहरोत्रा, निकुंज अरोड़ा, सुश्री अशिता चावला, संतोष कुमार विश्वकर्मा, संतोष कुमार पांडे, अधिवक्ता.. अपीलार्थियों के लिए।

सी. ए. सुंदरम, पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, एस. कौशल, सुश्री माधवी खरे, के. कृष्ण कुमार, नीरज शेखर, डॉ. सुमित कुमार, केशव बहेती, सुश्री मृगना शेखर, आशुतोष ठाकुर, अधिवक्ता.. उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था-

एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति

1. 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 949, 2019 की 7893 और 2022 की 10668 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना। मूल उत्तरदाताओं ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. वर्तमान अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

2.1 दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निजी सचिवों के 27 रिक्त पदों को भरने के लिए वर्ष 2016 में आवेदन आमंत्रित किये गये थे। लिखित परीक्षा 04.07.2016 को आयोजित की गई, जिसमें 135 उम्मीदवार उपस्थित हुए। कौशल और टाइपिंग परीक्षा 05-07-2016 को आयोजित की गई और लिखित परीक्षा का परिणाम 22.12.2016 को घोषित किया गया। अंतिम मेरिट सूची की घोषणा से पहले, तीन उम्मीदवारों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच की मांग करते हुए अभ्यावेदन दायर किया। चयन समिति ने यह कहते हुए अभ्यावेदन को खारिज कर दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय (नियुक्ति और सेवा की स्थिति) नियम, 1972 में उत्तर पुस्तिकाओं की पुन: जाँच/पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं था। सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार 19.01.2017/25.01.2017 को आयोजित किए गए थे।

2.2 गरिमा मदान ने अपनी उत्तर पुस्तिका की प्रति प्राप्त की और दिनांक 27.01.2017 को एक अभ्यावेदन देकर सक्षम प्राधिकारी से कुछ उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन/पुनः जांच करने और उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने का अवसर देने का अनुरोध किया। इस बीच, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अनुसार अंतिम योग्यता सूची 30.01.2017 को इंटरनेट पर प्रकाशित और अपलोड की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा निजी सचिवों के पद पर की गई नियुक्तियों को अधिसूचित करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ताओं सहित 27 उम्मीदवारों की नियुक्ति करते हुए अधिसूचना जारी की गई थी। प्रतिवादी - दिनेश कुमार को उनके आवेदन के अनुसार उनकी उत्तर पुस्तिका की एक प्रति भी प्रदान की गई थी।

2.3 अंतिम योग्यता सूची की घोषणा के बाद, कुछ उम्मीदवार, जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां प्राप्त कर ली थीं, अर्थात्, सुश्री गरिमा मदान; सुश्री सपना सेठी, श्री सुमित घई और सुश्री शीतू नागपाल ने फरवरी, 2017 के महीने में अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हुए अभ्यावेदन दायर किया।

2.4 पुनर्मूल्यांकन की मांग करने वाले उम्मीदवारों द्वारा 2017 की रिट याचिका (सी) संख्या 4260 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। दिनांक 17.05.2017 के आदेश द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को मूल्यांकन/अंकों के संबंध में पुनर्मूल्यांकन का स्वतंत्र निर्णय लेने का निर्देश दिया। परीक्षा के संबंध में कुछ प्रश्नों

के मूल्यांकन से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए 23.05.2017 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया था। जब ये कार्यवाही चल रही थी, फिर पुनर्मूल्यांकन के लिए उम्मीदवारों द्वारा अभ्यावेदन दायर किए गए। कुल 13 अभ्यर्थियों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 13 उम्मीदवारों में से, 05 उम्मीदवारों को दिनांक 02.02.2017 की अधिसूचना के माध्यम से पहले ही नियुक्त किया जा चुका है और शेष 08 को नियुक्त नहीं किया गया था।

2.5 12.07.2017 को विशेष समिति की एक बैठक बुलाई गई और यह निर्णय लिया गया कि पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र परीक्षक नियुक्त किया जाएगा जो 13 उम्मीदवारों तक सीमित होगा क्योंकि अन्य उम्मीदवारों ने उन्हें दिए गए अंकों को स्वीकार कर लिया है। उच्च न्यायालय ने लंबित रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया क्योंकि विशेष समिति ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सिफारिश की थी। 13 अभ्यर्थियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप सभी 13 अभ्यर्थियों के अंक बढ़ा दिये गये। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन पूरा हो चुका है और यह देखा गया कि विशेष समिति के लिए पुनर्मूल्यांकन की रिपोर्ट पर विचार करना और आगे की कार्रवाई की सिफारिश करना उचित होगा और इसके बाद परिणाम अधिसूचित किया जाएगा।

2.6 विशेष समिति ने 12.09.2017 को पुनर्मूल्यांकन परिणामों की प्रति 13 अभ्यर्थियों के साथ-साथ पहले से नियुक्त 27 निजी सचिवों को भी देने का निर्देश दिया। आगे निर्देश दिया गया कि इसे इंट्रानेट पर अपलोड किया जाए और सूचना पट(नोटिस बोर्ड) पर भी प्रदर्शित किया जाए।

2.7 उसके बाद एक सफ़लता भाटी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सी) संख्या 8255/2017 दायर की और पुनर्मूल्यांकन की प्रार्थना की, जिसे उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.09.2017 के आदेश द्वारा बिलंभ और बीते अवधि के आधार पर खारिज कर दिया। दिनांक 27.10.2017 के आदेश द्वारा समीक्षा आवेदन भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद 01.03.2018 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने निर्णय लिया कि जिन अभ्यर्थियों के अंक बढ़ गये हैं और उनके अंक पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों से अधिक पाये गये हैं, उन्हें, पहले से नियुक्त 27 अभ्यर्थियों को परेशान किये बिना, निजी सचिव पर रिक्त 22 पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जा सकता है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि दिनांक 01.03.2018 के प्रशासनिक नोट में , कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह पाया गया कि केवल 13 उम्मीदवारों के पुनर्मूल्यांकन के कारण, वह भी सीमित प्रश्नों के लिए, परिणामस्वरूप एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है। हालाँकि, यदि अब सभी पेपरों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप अनुचित देरी होगी और नियुक्तियाँ एक वर्ष पहले ही हो चुकी हैं, इसलिए समय को पीछे ले जाना मुश्किल है। अत: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने निर्णय

लिया कि जिन 08 अभ्यर्थियों के अंक पुनर्मूल्यांकन में बढ़ गये हैं तथा उनके अंक पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों से अधिक पाये गये हैं, उन्हें रिक्त 22 पदों के विरुद्ध रिक्त पद पर नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि वे 08 अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन पर अर्हता प्राप्त कर लेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जिस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि वरिष्ठता कैसे तय की जा सकती है, और इसलिए, वरिष्ठता के निर्धारण के पहलू पर मामला विशेष समिति को भेजा गया था।

2.8 विशेष समिति ने 07.03.2018 को आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश की कि पहले से चयनित 05 उम्मीदवार जिनके कागजात का पुनर्मूल्यांकन किया गया था, अब भी अन्य निजी सचिवों की तुलना में उन लोगों वरिष्ठता का लाभ देने के हकदार होंगे और नवचयनित होने वाले वरिष्ठता में सबसे नीचे होंगे (06 नवचयनित होने की स्थिति में)। पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित किया गया और इंटरनेट पर अपलोड किया गया और इसे 12.03.2018 को नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया गया। इसके बाद, 12.03.2018 के प्रभाव से 06 नवचयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली अधिसूचना दिनांक 14.03.2018 जारी की गई।

2.9 उसके बाद प्रतिवादी - मूल रिट याचिकाकर्ता - दिनेश कुमार ने 25.05.2018 को, यानी 20.02.2017 को उत्तर पुस्तिका की प्रति प्राप्त करने की तारीख से 15 महीने की अवधि के बाद, पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन दिया। इसी तरह की अन्य रिट याचिकाएँ भी देर से दायर की गईं। उसके बाद अपीलकर्ता - उम्मीदवार, जो बढ़े हुए अंकों के अनुसार वरिष्ठता से इनकार किए जाने से असंतुष्ट थे, ने 16.07.2018 को इस अनुरोध के साथ अभ्यावेदन दायर किया कि उनकी वरिष्ठता को संशोधित अंकों के अनुसार माना जाए और उन्हें वरिष्ठता में उचित स्थानों पर सूची/चयन सूची मे रखा जाए । सभी अभ्यावेदन दिनांक 20.07.2018 को विशेष समिति के समक्ष रखे गये। विशेष समिति ने प्रतिवादी - दिनेश कुमार के प्रतिनिधित्व को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सफलता भाटी (ऊपर वर्णित) के मामले में विलंबित चरण में और आदेश के आलोक में पुनर्मूल्यांकन की राहत नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, इसके बाद दिनांक 01.10.2018 की बैठक में अपीलकर्ताओं और अन्य उम्मीदवारों, जो बढ़े हुए अंकों के अनुसार वरिष्ठता से इनकार किए जाने से असंतुष्ट थे, द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विशेष समिति ने संशोधित अंकों के अनुसार काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान करने का निर्णय लिया। अभ्यर्थियों को. तदनुसार, संशोधित मेधा सूची तैयार की गई और 23.10.2018 को इंट्रानेट पर अपलोड की गई। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के संदर्भ में वरिष्ठता की घोषणा करने वाली एक अंतिम अधिसूचना 15.01.2019 को अपलोड की गई।

2.10 इसके बाद, इस बीच, एक सुश्री सपना सेठी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (सी) संख्या 2863/2018 दायर की और निर्देश दिया कि उनके मामले पर विशेष समिति द्वारा विचार किया जाए। 21.02.2019 को आयोजित बैठक में, विशेष समिति ने सुश्री सपना सेठी, जो पहले असफल उम्मीदवार थीं, के मामले पर विचार किया और उन्हें 3.5 अतिरिक्त अंक दिए। इसके बाद, यहां प्रतिवादी - मूल रिट याचिकाकर्ता - दिनेश कुमार ने संशोधित मेघ सूची जारी होने से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सी) संख्या 949/2019 दायर की। रिट याचिका में उन्होंने उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन की भी प्रार्थना की।

2.11 21 उम्मीदवारों (यहाँ प्रतिवादी) के एक समूह ने, जो पहले ही नियुक्त हो चुके थे, रिट याचिका (सी) संख्या 7893/2019, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर दायर की कि दिनांक 23.10.2018 की मेधा सूची के परिणामस्वरूप उनकी रैंक प्रभावित हुई है। सुश्री सपना सेठी का नाम शामिल करते हुए 17.12.2021 को उच्च न्यायालय द्वारा फिर से एक और संशोधित सूची जारी की गई। प्रतिवादी - दिनेश कुमार ने भी 17.12.2021 की संशोधित मेरिट सूची से व्यथित होकर रिट याचिका (सी) संख्या 10668/2022 दायर की।

2.12 आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और दिनांक 23.10.2018 और 17.12.2021 की योग्यता क्रम सूची को रद्द कर दिया है और निर्देश दिया है कि उल्लिखित उम्मीदवारों की वरिष्ठता 30.01.2017 को जारी अंतिम मेघा सूची के अनुसार होगा और जिन लोगों को पुनर्मूल्यांकन का लाभ दिया गया था, उन्हें 30.01.2017 को नियुक्त माना जाएगा, हालांकि, उनकी वरिष्ठता और स्थिति अंतिम नियुक्त उम्मीदवार के बाद मानी जाएगी। इसलिए वर्तमान अपीले सामने है।

3. सीए संख्या 2883-85/2023 में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सीयू सिंह ने प्रस्तुत किया है कि संबंधित अपीलकर्ता पहले गलत अंकन के कारण चयन सूची में नहीं थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसके बाद पुनर्मूल्यांकन पर उन्होंने अंतिम चयनित उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए और इसलिए, वे न केवल नियुक्ति के हकदार थे, बल्कि मेघा सूची में संशोधित अंकों के अनुसार रैंक पाने के भी हकदार थे, जो भविष्य मे पदोन्नति के लिए उनकी वरिष्ठता निर्धारित करता है ।

3.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि पुनर्मूल्यांकन पर अंकन में परिवर्तन के कारण मेरिट सूची को संशोधित किया गया था, पहले विशेष समिति ने प्राप्त अंकों के अनुसार अपीलकर्ताओं को वरिष्ठता देने का सही निर्णय लिया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि अब उच्च न्यायालय द्वारा इसे रद्द कर दिया गया है, और अपीलकर्ताओं को इस तथ्य के बावजूद कि उनकी

नियुक्तियाँ 30.01.2017 से प्रभावी हैं, (अर्थात, प्रथम प्रकाशन की तिथि को बरकरार मेघा सूची), वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखने का निर्देश दिया गया है।

3.2 यह प्रस्तुत किया गया है कि त्रुटिपूर्ण अंकन और इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि उच्च न्यायालय 13 उम्मीदवारों द्वारा दायर अभ्यावेदन और रिट याचिकाओं के आधार पर पुनर्मूल्यांकन के मुद्दे पर विचार कर रहा था, उत्तरदाताओं ने नवंबर, 2018 तक पुनःमूल्यांकन प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरदाताओं को अच्छी तरह से पता था कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20-07-2017 में एक निर्देश पारित किया था कि पुनर्मूल्यांकन 13 उम्मीदवारों द्वारा व्यक्त की गई शिकायत तक ही सीमित रहेगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 30.08.2017 के आदेश के तहत पुनर्मूल्यांकन बंद कर दिया गया था, उत्तरदाताओं ने जानबूझकर आदेशों को चुनौती देने या पुनर्मूल्यांकन की मांग करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं करने का विकल्प चुना, जबकि इसके बावजूद की उक्त अभ्यास किए जाने और परिणामों के बारे मे उन्हें दिनाक 12.09.2017 को जानकारी प्रस्तुत किया गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि शुरू में चयनित 27 उम्मीदवारों में से 5 पहले से ही चयनित, शेष 22 उम्मीदवारों के विपरीत, पुनर्मूल्यांकन की मांग करने में तत्पर थे।

3.3 यह प्रस्तुत किया गया है कि इसके अलावा, सफलता भाटी (सुप्रा) के मामले में उच्च न्यायालय ने विलंब और बीते समय के आधार पर पुनर्मूल्यांकन से इनकार कर दिया, जो अंतिम परिणाम तक पहुंच गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरदाता चुपचाप और सिथिल थे और यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि सार्वजनिक कानून क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, अदालतों को पुराने दावों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, खासकर जब तीसरे पक्ष के अधिकारों को अंतराल में अस्पष्ट किया गया हो।

3.4 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के कंडिका 68 में 30.01.2017 से अपीलकर्ताओं की नियुक्ति को स्पष्ट रूप से बरकरार रखा है, जिसे यहां उत्तरदाताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए, उत्तरदाताओं का यह तर्क कि नियुक्ति 12.03.2018 से होनी चाहिए थी, गलत है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जब एक बार अपीलकर्ताओं को 30.01.2017 से नियुक्त किया गया था, तो उन्हें उनके संशोधित अंकों का लाभ दिया जाना चाहिए था क्योंकि अपीलकर्ताओं को दिनाक 30.01.2017 से नियुक्ति मात्र से कोई लाभ नहीं देती है।

3.5 यह प्रस्तुत किया गया है कि योग्यता के आधार पर चयन होने के कारण, योग्यता सूची में रैंक उम्मीदवारों की वरिष्ठता निर्धारित करेगी और केवल 30.01.2017 के प्रभाव से अनुमानित

वरिष्ठता प्रदान करने का कोई मतलब नहीं है। सेवा की अवधि कोई मायने नहीं रखती क्योंकि योग्यता सूची में अर्जित स्थिति के आधार पर ही कोई उम्मीदवार भविष्य में नियुक्ति का हकदार बनता है।

3.6 यह प्रस्तुत किया गया है कि काल्पनिक वरिष्ठता बिना किसी पिछले वेतन, बकाया और अन्य लाभों के, वरिष्ठता का लाभ देना है, जैसा कि वर्तमान मामले में किया जाना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ताओं को, हालांकि उनकी अपनी कोई गलती नहीं थी, गलत अंकन के परिणामस्वरूप दिनांक 30.01.2017 की चयन सूची में उनके स्थान से वंचित कर दिया गया था और अंकन के सुधार पर उन्हें काल्पनिक वरिष्ठता (योग्यता के आधार पर परस्पर वरिष्ठता) का लाभ दिया जाना चाहिए था।

3.7 आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि परीक्षा का पूरा आधार प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेघा सूची तैयार करना था। कुल 13 उम्मीदवारों के लिए पुनर्मूल्यांकन का कार्य किया गया, जिनमें से 5 उम्मीदवार पहले से ही 30.01.2017 को अधिसूचित चयन सूची में थे।

3.8 यह प्रस्तुत किया गया है कि 13 उम्मीदवारों के पुनर्मूल्यांकन की कवायद, जिसमें पहले से ही निजी सचिवों के पदों पर चयनित उम्मीदवार शामिल थे, केवल योग्यता के आधार पर रैंक का लाभ देने के इरादे से किया जा सकता था। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि अंकों के आधार पर परस्पर वरिष्ठता प्रदान करने का कोई इरादा नहीं होता, तो पहले से ही चयनित 5 उम्मीदवारों को पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रवेश देने का कोई कारण नहीं होता, जिससे पूरी प्रक्रिया निरर्थक हो जाती।

3.9 यह प्रस्तुत किया गया है कि विशेष समिति की सभी सिफारिशों और निर्णयों को दिनांक 01.10.2018 के मिनट्स/बैठक नोट द्वारा अमान्य कर दिया गया, जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान करने का अर्थ केवल उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार रखना हो सकता है। दिनांक 30.01.2017 को उक्त चयन सूची जारी होने से पहले उक्त गलत अंकन को चुनौती दी गई थी और अतः इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

3.10 यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरदाताओं का यह तर्क कि अपीलकर्ताओं को अतिरिक्त रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाना था, गलत है। यह प्रस्तुत किया गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने दिनांक 01.03.2018 के नोट के कंडीक 31 में कहा था कि "आज की तारीख में हमारे न्यायालय में 75% परीक्षण कोटा के तहत निजी सचिव के पद पर 22 रिक्तियां हैं। इसलिए, उन लोगों की नियुक्ति के संबंध में कोई कठिनाई नहीं है जो पहले की

गई नियुक्तियों को प्रभावित किए बिना सीमित पुनर्मूल्यांकन पर योग्य हैं। जिस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि इन व्यक्तियों की वरिष्ठता कैसे तय की जाए और क्या कोई पुनर्निर्धारण आवश्यक है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का विचार था, कि रिक्तियां नहीं होने की स्थिति में, पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप पहले से की गई कुछ निजी सचिवों की नियुक्तियों में गड़बड़ी हो सकती है, जिनके अंक अपीलकर्ताओं में से अब कम हैं ।

3.11 आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरदाताओं के कहने पर रिट याचिकाओं में प्रार्थनाएं एक-दूसरे के साथ विरोधाभास में थीं। उत्तरदाताओं ने एक ओर पुनर्मूल्यांकन की मांग की और दूसरी ओर सफल उम्मीदवारों को पुनर्मूल्यांकन के लाभ से वंचित करने वाली संशोधित योग्यता सूची को रद्द करने की मांग की, खासकर जब पद का प्रश्न चयन-सह-योग्यता का हो।

3.12 यह प्रस्तुत किया गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप एक असाधारण और आकस्मिक स्थिति का सामना करना पड़ा और की गई कार्रवाई क्षेत्र के भीतर थी क्योंकि इसमें कोई दुर्भावना या पूर्वाग्रह नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में अतिरिक्त रिक्तियों के विरुद्ध उम्मीदवारों के पुनर्मूल्यांकन और समायोजन को भी विवादित आदेश के माध्यम से बरकरार रखा गया है जिसे उत्तरदाताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।

3.13 यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि पुनर्मूल्यांकन को बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की आलोचना नहीं की गई है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन के परिणामों को तार्किक अंत तक ले जाया जाना चाहिए, अर्थात योग्यता के आधार पर अपीलकर्ताओं को अन्य उम्मीदवार से संबंधित परस्पर वरिष्ठता प्रदान की जानी चाहिए।

3.14 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि के. मेघचंद्र सिंह और अन्य बनाम निंगम सिरो एवं अन्य (2020)5 एससीसी 689 के मामले में और इस न्यायालय का निर्णय डब्ल्यूपी (सी) संख्या 712/2015 सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के मामले में इस न्यायालय का निर्णय पर उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा भरोसा, यह मामले के मौजूदा तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

3.15 उपरोक्त निवेदन करते हुए वर्तमान अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की जाती है।

4. श्री मनिंदर सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, सीए नंबर 2886/2023 में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए -5 अपीलकर्ता, जो पहले से ही 30.01.2017 की पहली चयन सूची में नियुक्त

थे, लेकिन जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था ऐसे लोगों ने वही दलीलें दीं जो विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सीयू सिंह ने दी हैं।

4.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि संबंधित अपीलकर्ता उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने में तत्पर थे, हालांकि उन्हें दिनांक 30.01.2017 की पहली मेघा सूची में चुना गया था और पुनर्मूल्यांकन पर उनके अंक बढ़ गए थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए, संबंधित अपीलकर्ता संशोधित अंकों के लाभ के हकदार होंगे और उन्हें चयन सूची/मेघा सूची में उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसी राहत नहीं देना, पुनर्मूल्यांकन पर अंकों में वृद्धि का कोई लाभ नहीं देने के समान होगा।

4.2 उपरोक्त निवेदन करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील-सीए संख्या 2886/2023 को स्वीकार किया जाए।

5. श्री सीए सुंदरम और श्री पीएस पटवालिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं/ मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए हैं। संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि निम्नलिखित कारणों से उत्तरदाताओं के नुकसान के लिए योग्यता सूची में संशोधन को बनाए रखना, प्रथम दृष्टया अवैध होने के अलावा, अत्यधिक असमान और घोर अन्यायपूर्ण होगा: -

5.1 उत्तरदाताओं को कभी भी अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का अवसर नहीं मिला जैसा कि यहां अपीलकर्ताओं को दिया गया है। उनके पास पहले पुनर्मूल्यांकन की मांग करने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि उन्हें पहली बार प्रकाशित मेघा सूची के अनुसार 30.01.2017 को ही चयनित और नियुक्त किया गया था। यहां अपीलकर्ताओं का पुनर्मूल्यांकन प्रासंगिक नियमों में पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में भी अदालत के आदेशों और विशेष समिति के निर्णय के कारण हुआ था। यह एक विशेष रियायत थी। यह मानते हुए कि पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान था, तो उसी प्रक्रिया को हर उस उम्मीदवार तक बढ़ाया जाना चाहिए था जो प्रभावित होने वाला था।

5.2 एक स्वतंत्र और अलग परीक्षक द्वारा उम्मीदवारों की उत्तर-पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद, सभी 13 के अंक बढ़ गए और यदि वही अवसर वर्तमान उत्तरदाताओं को दिया जाता, तो उनके अंक भी बढ़ सकते थे। आंशिक पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप एक विसंगति उत्पन्न हुई है। उदाहरण के लिए, लिखित परीक्षा में प्रश्न 3(ए)(vi) में दिनेश कुमार (आर2) का उत्तर 'गुलामी' था और इसके लिए उन्हें 0 अंक दिए गए थे। हालाँकि, पुनर्मूल्यांकन पर, अपीलकर्ताओं को उसी उत्तर के लिए 2 अंक दिए गए। इस प्रकार, 2 अतिरिक्त अंकों के लिए पात्र

होने के बावजूद, दिनेश कुमार को दूसरी और तीसरी मेघा सूची में पदावनत कर दिया गया। परिणामस्वरूप, उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं को उनसे अधिक मेधावी होने के बावजूद कम मेधावी अभ्यर्थियों से नीचे रखा गया और एक बेतुकी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी और तीसरी मेघा सूची को रद्द करना उचित था;

5.3 यहां तक कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने दिनांक 01.03.2018 के आदेश के तहत यह राय दी कि केवल 13 उम्मीदवारों के आंशिक पुनर्मूल्यांकन के कारण एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई थी क्योंकि सभी 13 उम्मीदवारों के अंक बढ़ गए थे और आदर्श रूप से सभी पेपरों का समान मानको पर पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, विशेष समिति ने 07.03.2018 को निर्णय लिया कि पहली मेघा सूची के माध्यम से दिए गए रैंक में गड़बड़ी नहीं की जाएगी और नए चयनित उम्मीदवारों को चयन सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा क्योंकि पुनर्मूल्यांकन वरिष्ठता का कोई लाभ नहीं दे सकता है, जो समिति के अनुसार, यह सभी उम्मीदवारों के लिए पूर्ण और न्यायसंगत न्याय सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका था। इसलिए, अधिसूचना दिनांक 14.03.2018 में अपीलकर्ताओं की नियुक्ति का निर्देश देते हुए कहा गया कि उन्हें पहली मेघा सूची में अंतिम सफल उम्मीदवार के बाद चयन सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा। अपीलकर्ताओं की नियुक्ति की पृष्ठभूमि होने के कारण, बाद में इसमें छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए थी। 23.10.2018 की संशोधित मेघा सूची, 07.03.2018 को विशेष समिति द्वारा की गई सिफारिशों का उल्लंघन थी, जिसे 14.03.2018 को तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था;

5.4 अपीलकर्ताओं ने आज तक दिनांक 14.03.2018 की अधिसूचना को चुनौती नहीं दी है, जिसने उन्हें सशर्त नियुक्ति दी थी, यानी, वे मूल रूप से चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता को बाधित किए बिना नियुक्ति पर मूल चयन सूची में सबसे नीचे रखे जाने पर सहमत हुए थे। इस प्रकार, सशर्त नियुक्ति स्वीकार करने के बाद, अपीलकर्ताओं को मूल रूप से चयनित उम्मीदवारों से आगे निकलने/बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती;

5.5 अपीलकर्ताओं को दी गई विशेष रियायत इस तथ्य से भी स्थापित होती है कि उन्हें भविष्य की रिक्तियों के खिलाफ नियुक्ति दी गई थी, न कि 2016 में विज्ञापित रिक्तियों के लिए। अपीलकर्ताओं के पक्ष में न्यायसम्य, उत्तरदाताओं के पक्ष में न्यायसम्य को हराने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। विशेष रियायत निहित अधिकारों पर हावी नहीं हो सकती।

5.6 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार किसी उम्मीदवार को केवल उस तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जा सकती है जिस दिन वह कैडर में पैदा हुआ है, न कि पूर्वव्यापी रूप से। ऐसे मामले में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर

भरोसा किया गया है: के. मेघचंद्र सिंह (ऊपर वर्णित) (पैरा 37- 39), नानी शाह और अन्य बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य और अन्य, (2007)15 एससीसी 406 (पैरा 16) और उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव, (2014)14 एससीसी 720(पैरा 24)।

5.7 उपरोक्त दलीलें देते हुए, वर्तमान अपीलों को यह कहते हुए खारिज करने की प्रार्थना की गई है कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की नियुक्तियों के साथ-साथ उत्तरदाताओं की वरिष्ठता की रक्षा करके पक्षों के बीच न्याय करने की कोशिश की है।

6. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना गया।

6.1 इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए मुद्दा यह है: क्या यहां अपीलकर्ता जिनके अंक पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के अनुसार बढ़ाए गए थे, वे योग्यता सूची में संशोधित अंकों के अनुसार रैंक/क्रमबद्ध पाने के हकदार हैं जो भविष्य की पदोन्नति के लिए उनकी वरिष्ठता निर्धारित करती है?

6.2 सबसे पहले, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि लिखित परीक्षा का परिणाम 22.12.2016 को घोषित किया गया था। मेघा सूची की घोषणा से पहले, 3 उम्मीदवारों ने 22.12.2016 से 18.01.2 017 के बीच अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच की मांग करते हुए अभ्यावेदन दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 19/25.01.2017 को आयोजित किया गया। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर अंतिम मेघा सूची 30.01.2017 को प्रकाशित और इंटरनेट पर अपलोड की गई थी। निजी सचिवों के रूप में 27 उम्मीदवारों की नियुक्ति 02.02.2017 को अधिसूचित की गई। प्रतिवादी - दिनेश कुमार को 13.02.2017 को उनके आवेदन के अनुसार उनकी उत्तर पुस्तिका की एक प्रति भी प्रदान की गई थी। मेघा सूची की घोषणा के बाद, 4 उम्मीदवारों ने पुनर्मूल्यांकन की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। पुनर्मूल्यांकन के संबंध में अपीलकर्ताओं सहित 8 रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गईं। उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक स्वतंत्र निर्णय लेने पर विचार कर सकते हैं कि क्या इन याचिकाओं में शामिल प्रश्नों के संबंध में अंक देने के लिए स्वतंत्र रूप से पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसके बाद पुनर्मूल्यांकन के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए 3 न्यायाधीशों की विशेष समिति का गठन किया गया। जब ये कार्यवाही चल रही थी तब पुनर्मूल्यांकन के लिए उम्मीदवारों द्वारा आगे अभ्यावेदन दायर किए गए थे। कुल 13 उम्मीदवारों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रार्थना करते हुए रिट याचिका/अभ्यावेदन दायर किया था। 10.07.2017 को आयोजित विशेष समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र परीक्षक नियुक्त किया जाएगा और पुनर्मूल्यांकन 13 उम्मीदवारों तक सीमित

रहेगा क्योंकि अन्य उम्मीदवारों ने उन्हें दिए गए अंकों को स्वीकार कर लिया है। विशेष समिति ने यह भी निर्णय लिया कि पुनर्मूल्यांकन केवल उन्हीं प्रश्नों का किया जायेगा जिन्हें रिट याचिकाकर्ताओं/पुनः प्रस्तुतीकरणकर्ताओं ने चुनौती दी है। विशेष समिति का निर्णय दिनांक 10.07.2017 को अंतिम रूप मिला। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि रिट याचिका/अभ्यावेदन दायर करने वाले 13 उम्मीदवारों में से 5 उम्मीदवार पहले ही नियुक्त किए जा चुके थे। पूर्व चयन सूची/मेघा सूची दिनांक 30.01.2017. फिर भी उन्होंने पुनर्मूल्यांकन/पुनः जांच के लिए आवेदन किया। इसके बाद 13 अभ्यर्थियों के पुनर्मूल्यांकन के बाद सभी 13 अभ्यर्थियों के अंक बढ़ गए। विशेष समिति ने 12.09.2017 को आयोजित अपनी बैठक में पुनर्मूल्यांकन परिणामों की प्रति 13 उम्मीदवारों के साथ-साथ पहले से नियुक्त निजी सचिवों को भी देने का निर्देश दिया और इसे इंटरनेट पर अपलोड करने और नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। इस प्रकार, परिणाम पहले से ही चयनित उम्मीदवारों को सूचित कर दिए गए थे। इस बीच, सफ़लता भाटी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर कर पुनर्मूल्यांकन की प्रार्थना की, जिसे विलब और देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया। इसके बाद सवाल उठा कि पुनर्मूल्यांकन पर अंक बढ़ाने पर क्या किया जाए। ऐसे में पुनर्मूल्यांकन पर अंक बढ़ाने पर पूर्व में नियुक्ति से वंचित रहे 8 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी थी तथा 27 अभ्यर्थियों में से पहले से नियुक्त कुछ अभ्यर्थियों पर असर पड़ने की संभावना थी, अत: एक सचेत निर्णय लिया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उन लोगों की नियुक्ति करेंगे जो पुनर्मूल्यांकन के बाद योग्य होंगे और उनकी नियुक्तियों को अतिरिक्त रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। इस स्तर पर, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक नोट को संदर्भित करना आवश्यक है जो निम्नानुसार है: -

"केवल 13 उम्मीदवारों के सीमित पुनर्मूल्यांकन के कारण एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है। हालाँकि, यदि अब सभी पेपरों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप अनुचित देरी होगी और नियुक्तियाँ 1 वर्ष पहले प्रभावी होने के कारण, समय को पीछे ले जाना मुश्किल है।

चूंकि 75% परीक्षण कोटा के तहत पीएस की 22 रिक्तियां हैं, पुनर्मूल्यांकन पर योग्य पाए जाने वालों की नियुक्ति के संबंध में कोई कठिनाई नहीं है। जिस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि इन व्यक्तियों की वरिष्ठता कैसे तय की जाए और क्या कोई पुनर्निर्धारण आवश्यक है।

विशेष समिति को भेजा गया मामला वरिष्ठता निर्धारण के पहलू पर है।"

6.3 ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का विचार था कि रिक्तियां नहीं होने की स्थिति में, पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप पहले से की गई कुछ निजी सचिवों की

नियुक्तियों में गड़बड़ी हो सकती है, जिनके अंक अब अपीलकर्ताओं की तुलना में कम हैं। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि यह अपीलकर्ता नहीं हैं, जिन्हें अतिरिक्त रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाना था, बल्कि वे उम्मीदवार हैं जिनकी रैंक अपीलकर्ताओं और अन्य समान रूप मे आए उम्मीदवारों के अंकों के संशोधन के परिणामस्वरूप कम हो गई थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, प्रशासनिक नोट में, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने यह भी विशेष रूप से कहा कि इसके बाद इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है कि इन व्यक्तियों की वरिष्ठता कैसे तय की जाए और क्या कोई पुन: निर्धारण आवश्यक है। वरिष्ठता निर्धारण के पहलू पर मामला विशेष समिति को भेजा गया था। उसके बाद, विशेष समिति ने शुरू में नव चयनित उम्मीदवारों को वरिष्ठता में सबसे नीचे रखने का निर्णय लिया। हालाँकि, इसके बाद, संशोधित अंकों के आधार पर वरिष्ठता का लाभ मांगने वाले अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, विशेष समिति ने दिनांक 01.10.2018 की बैठक में उम्मीदवारों को संशोधित अंकों के अनुसार काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्हीं सिफ़ारिशों को मुख्य न्यायाधीश ने मंजूरी दे दी। अंतिम रूप से प्राप्त उम्मीदवारों को संशोधित अंकों के अनुसार काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान करने के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष समिति के निर्णय को मंजूरी दी गई। तदनुसार, संशोधित मेघा सूची तैयार की गई जो उच्च न्यायालय के समक्ष विषय वस्तु थी।

7. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों को सुनने और इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि 13 उम्मीदवारों के पुनर्मूल्यांकन के पहले के निर्णय को अंतिम रूप दिया गया और उसके बाद, 13 उम्मीदवारों के अंक बढ़ाए गए, दिनांक 01.10.2018 के अपने निर्णय में संशोधित अंक/मेघा सूची के अनुसार काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान करने हेतु विशेष समिति बिल्कुल उचित थी। प्रासंगिक समय पर, किसी भी चयनित उम्मीदवार (22 उम्मीदवार - यहां उत्तरदाता) ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं किया और यहां तक कि केवल 13 उम्मीदवारों के अंकों के पुनर्मूल्यांकन के विशेष समिति के फैसले को चुनौती भी नहीं दी। केवल 13 उम्मीदवारों के पुनर्मूल्यांकन के पहले के फैसले को चुनौती देने में विफल रहने और यहां तक कि प्रासंगिक समय पर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं करने के बावजूद, हालांकि उसके बाद पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही थी, उत्तरदाताओं के लिए बाद में शिकायत करने के लिए कोई मौका नहीं था कि 13 उम्मीदवारों के अंकों का पुनर्मूल्यांकन उसके हानी के साथ नहीं हो सकता। एक बार पुनर्मूल्यांकन के बाद अंक बढ़ जाते हैं तो जिन संबंधित उम्मीदवारों के अंक बढ़ जाते हैं उन्हें मेघा सूची में उचित स्थान पर रखना होगा। इस प्रकार, संशोधित अंकों के आधार पर वरिष्ठता न दिए जाने से पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के अंक बढ़े हुए हैं उन्हें दिनांक 30.01.2017 की चयन सूची में उनके स्थान से वंचित नहीं किया जा सकता तथा त्रुटि सुधार पर उन्हें मेरिट के आधार पर काल्पनिक वरिष्ठता अर्थात परस्पर वरिष्ठता का लाभ दिया जाना अपेक्षित था। अपीलकर्ताओं की ओर से कोई गलती नहीं थी। प्रासंगिक समय पर

गलत अंकन के कारण वे नियुक्तियों से वंचित रह गए और उन्हें मेरिट सूची में नहीं रखा गया और इस तरह पुनर्मूल्यांकन पर अंकों के संशोधन पर सुधार करना आवश्यक था। इसलिए, विशेष समिति द्वारा दिनांक 01.10.2018 को उम्मीदवारों को संशोधित अंकों के अनुसार काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान करने का निर्णय लेना बिल्कुल उचित था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उम्मीदवारों को संशोधित अंकों के अनुसार काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान करने के लिए विशेष समिति द्वारा लिए गए सचेत निर्णय को रद्द करने में मूलभूत गलती की है।

8. अब, जहां तक उत्तरदाताओं की ओर से ऊपर उल्लिखित लिए गए निर्णयों पर भरोसे की बात है, वे मामले के मौजूदा तथ्यों पर लागू नहीं होंगे। के. मेघचन्द्र (उपर वर्णित) के मामले मे विचाराधीन मुद्दा यह था कि क्या पदोन्नति और सीधी भर्ती वाले लोगों के बीच परस्पर वरिष्टता उस तारीख से दी जा सकती है जिस दिन रिक्ति उत्पन्न हुई थी/भर्ती शुरू होने की तारीख से। वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं की नियुक्ति 30.01.2017 के प्रभाव से बरकरार रखा गया है, जिसे उत्तरदाताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। 30.01.2017 से अपीलकर्ताओं को पारस्परिक वरिष्ठता प्रदान करना इसलिए है क्योंकि दिनांक 30.01.2017 को पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से चयन सूची में एक सुधार थी।

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपीलें स्वीकार की जाती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा रद्द और उपेक्षित किया जाता है। विशेष समिति के दिनांक 01.10.2018 के निर्णय को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है और यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि संबंधित अपीलकर्ता पुनर्मूल्यांकन पर संशोधित अंकों के अनुसार 30.01.2017 के प्रभाव से अनुमानित वरिष्ठता के हकदार होंगे। तदनुसार वर्तमान अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

कोई लागत नहीं।

अनुवादक-

(मनोरंजन कुमार-1)